



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 1982/माघ 23, 1903

No. 50]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 1982/MAGHA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संघसंकेत सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1982

का.अं. 78(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ चौवनवां संशोधन) नियम, 1982 होगा।
- भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम 1961 में,—  
(क) प्रथम अनुसूची में,—

(1) प्रविष्टि "28क. पर्यावरण विभाग" के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"28ख. महासागर विकास विभाग।" और

(2) प्रविष्टि 30 में "कोष्ठको और शब्दों (सचिवालय के अन्तर् महासागर विकास विभाग सहित)" का लोप किया जाएगा।

(ख) द्वितीय अनुसूची में,—

(1) "पर्यावरण विभाग" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"महासागर विकास विभाग

1. महासागर से संबंधित ऐसे मामले जो किसी अन्य विभाग/संचालय को विशिष्टतया आवंटित न किए गए हों।

2. महासागर से संबंधित नीतियां, समन्वय, सुरक्षा, विनियम उपाय और संहिता, तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे,—

- अनुसंधान (मौलिक अनुसंधान सहित) और उसके संबंधित उपयोगों का विकास;
- प्रायोगिकीय विकास;
- निजीव और सजीव समुद्री साधनों की उपलब्धता का पता लगाने और उनका और मानचित्रांकन करने के लिए सर्वेक्षण,
- परिरक्षण, संभारण संरक्षण,

- (5) समुचित कौशल और प्रशिक्षित वर्ग का विकास;  
 (6) सहयोग, तकनीकी सहयोग सहित; और  
 (7) उपयुक्त से संबंधित कानून ।
3. महासागर आयोग ।
4. सर्वभारतीय समुद्र विज्ञान संगम ।
5. महासागर विज्ञान और प्रयोगिकी अभिकरण अथवा बोर्ड ।”;
- (2) “मंत्रिमंडल सचिवालय” शीर्षक के अंतर्गत, उप-शीर्षक “महासागर विकास विभाग” और उसके अंतर्गत प्राविष्टियों को लोप किया जाएगा ।

नीलम संजीव रेड्डी,  
 राष्ट्रपति

[सं. 74/3/5/81-मंत्रि.]

प्रेम कुमार, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1982

S.O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and Fifty-fourth Amendment) Rules, 1982.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—
- (a) in the First Schedule, —
- (i) after entry “26A. Department of Environment (Paryavaran Vibhag)”, the following entry shall be inserted, namely :—
- “26B. Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag).”; and

(ii) in entry 30, the brackets and words “[with a Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag) within the Secretariat (Sachivalaya)] shall be omitted;

(b) in the Second Schedule, —

(i) after the heading “DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)” and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

“DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)

1. Matters relating to the Ocean and not specifically allocated to any other Department/Ministry.

2. Policies including coordination, security, regulatory measures and development relating to the Ocean and covering, inter-alia, —

(i) research (including fundamental research) and the development of uses relatable thereto;

(ii) technological development;

(iii) surveys to map and locate the availability of non-living and living marine resources;

(iv) preservation, conservation and protection ;

(v) development of appropriate skills and manpower;

(vi) collaboration, including technical collaboration; and

(vii) laws relatable to the above.

3. Ocean Commission.

4. The Pan Indian Ocean Science Association.

5. Ocean Science and Technology Agency or Board”, and

(ii) under the heading “CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)”, the sub-heading “DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)” and entries thereunder shall be omitted.

N. SANJIVAREDDY,  
 President

[No. 74/3/5/81-Cab.]

PREM KUMAR, Additional Secy.